

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	18 से 60 वर्ष के जिनकी आय दोहरी गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो उन्हें दुकान निर्माण हेतु रू0 20000/- जिसमें रू0 15000/- ऋण व रू0 5000/- अनुदान तथा दुकान संचालन/खोखा/टेला आदि क्रय करने हेतु रू0 10000/-जिसमें रू0 7500 ऋण एवं रू0 2500 अनुदान दिया जाता है।
4.	पात्रता की अर्हता–	18 से 60 वर्ष के जिनकी आय दोहरी गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में वांछित अभिलेखों सहित
6.	लिंक वेबसाईट	http://sspy-up.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।